महत्वपूर्ण

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष / 25 / 2012–13 / 1331-A दिनांकः 10.09.12

विषय– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों के समायोजन एवं पुंनर्अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों के समायोजन एवं पुनर्अनुबन्ध के लिये, वर्ष 2011–12 में संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों की सूची वर्ष 2012–13 में समायोजन एवं पुनर्अनुबन्ध हेतु तीन जनपदों के विकल्प के साथ इस कार्यालय द्वारा आपसे मॉगी गई थी।

2. आप द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार वर्ष 2011–12 में संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों को यथा सम्भव उन्ही जनपदों में जहाँ वे वित्तीय वर्ष 2011–12 में कार्यरत थे अथवा उनके द्वारा दिये गये विकल्प के जनपदों में समायोजन कर आप के स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश के साथ पत्र संख्या सूची एन0आर0एच0एम0 की वेब साइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कर दी गयी हैं।

3. उपर्युक्त कम में जनपदों से प्राप्त संशोधन के प्रस्तावों, संस्तुतियों एवं आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों के अनुरोध के दृष्टिगत् कार्यहित में पत्र के साथ संलग्न की जा रही सूची के अनुरूप आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों का जनपद परिवर्तन एवं पारस्परिक समायोजन किया जा रहा है।

4. वेबसाइट पर उक्तानुसार उपलब्ध सूची के अनुसार संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों के पुर्नअनुबन्ध से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट वर्ष 2011–12 में संविदा पर कार्यरत थे।

5. यदि किसी जनपद द्वारा प्रेषित सूची में ऐसे आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट का नाम इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है जो मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में कार्यरत नहीं थे, तो उनका पुनर्अनुबन्ध न किया जाये एवं उनके नाम को प्रेषित करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये सुसंग धाराओं के अन्तर्गत उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये इस कार्यालय को अवगत कराया जाये। इसके

---2

अतिरिक्त सम्बन्धित आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट के विरूद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

6. यदि किसी जनपद द्वारा प्रेषित सूची में ऐसे आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट का नाम इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है जो वर्ष 2011–12 में कार्यरत नहीं थे तथा उनका समायोजन किसी अन्य जनपद में हो गया है तब सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समायोजित किये गये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को इसकी सूचना तत्काल ई–मेल/फैक्स/मोबाईल द्वारा दी जाये तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को भी ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर तत्काल दी जाये।

7. यदि आपके जनपद में किसी आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट का समायोजन अन्य किसी जनपद से किया गया है तो उसके पूर्व तैनाती के जनपद से वर्ष 2011–12 में संविदा पर नियुक्ति की पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनके पुनर्अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये।

8. किसी भी स्थिति में ऐसे किसी आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में संविदा पर तैनात नहीं था, का न तो योगदान स्वीकार किया जाये और न ही पुनर्अनुबन्ध किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

10/05/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष/25/2012–13/1331-A(9) दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

10/05/12

(डा0 अनिल कुमार मिश्रा)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष